

**श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी माननीय संवि०प० से प्राप्त
तारांकित प्रश्न 1/212/620 का उत्तर प्रतिवेदन**

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>क) क्या यह सही है कि कनीय अभियंता से सहायक अभियंता में प्रोन्नति हेतु AMIE (Associate Member Of Institute of Engineers) या समकक्ष कोटा से 10 प्रतिशत प्रोन्नति देने का प्रावधान है जिसका अनुपालन जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है फलस्वरूप सहायक अभियंता का 140 पद रिक्त है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 के आलोक में 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत ए०एम०आई०ई० / समकक्ष डिग्री धारक कनीय अभियंता को सहायक अभियंता के उच्चतर पद पर उक्तमित करते हुए अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार (विहित वेतनमान सहित) पूर्व में प्रदान किया गया है। • उक्त कोटान्तर्गत शेष रिक्त पदों पर ए०एम०आई०ई० / समकक्ष डिग्री धारक कनीय अभियंता को सहायक अभियंता के उच्चतर पद पर उक्तमित करते हुए अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार (विहित वेतनमान सहित) प्रदान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
<p>ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार AMIE या समकक्ष कोटा से कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के रिक्त 140 रिक्त पदों पर प्रोन्नति देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • विभागीय पत्रांक-627 दिनांक-09.02.2026 द्वारा ए०एम०आई०ई० / समकक्ष डिग्री धारक कनीय अभियंताओं का औपबंधिक योग्यता-सह-पात्रता सूची प्रकाशित करते हुए 30 दिनों के अंदर आपत्ति की माँग की गई है। निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर अंतिम रूप से विचारण सूची तैयार करते हुए नियमानुसार शीघ्र 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत कनीय अभियंता से सहायक अभियंता (असैनिक) के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार (विहित वेतनमान सहित) प्रदान किया जायेगा।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :-09/संसदीय-06-01/2026

/पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि :- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं०-1/212/620 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(संजय कुमार)

उप सचिव-1(प्रबंधन)

ज्ञापांक :-09/संसदीय-06-01/2026

/पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि :- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


(संजय कुमार)

उप सचिव-1(प्रबंधन)

ज्ञापांक :-09/संसदीय-06-01/2026

1080 /पटना/दिनांक- 27/02/2026

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सूचना प्रावैधिक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजय कुमार)

उप सचिव-1(प्रबंधन)